

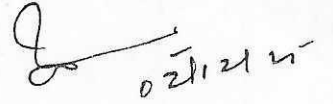
बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-5/अ0प्र0-01-37/2024

658 /पटना, दिनांक- 20.12.25

श्रीमती पूजा कुमारी, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय (प्रतिनियुक्त PMGSY कोषांग), ग्रामीण कार्य विभाग को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 (A) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में अपने प्रथम संतान की देखभाल हेतु दिनांक 19.07.2025 से 20.10.2025 तक कुल 94 दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

- उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती पूजा कुमारी, सहायक अभियंता को परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



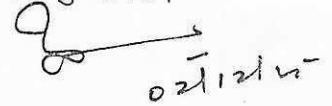
(अभय झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-37/2024 12158

/पटना, दिनांक- 20.12.25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

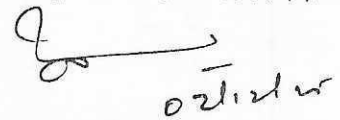


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-5/अ0प्र0-01-37/2024 12158

/पटना, दिनांक-20.12.25

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती पूजा कुमारी, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय (प्रतिनियुक्त PMGSY कोषांग), ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

